मप्र, छत्तीसगढ़ के दावेदारों के नाम तय करने को लेकर बैठी भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति

अभय तिवारी

नई दिल्ली। 2024 के आम चुनावों के सेमी फाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं पांच राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव की तैयारी भाजपा ने अभी से शुरू कर दी है। साल के आखिर में होने वाले इन चुनाव का केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के लिए क्या महत्व है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है पार्टी ने पहली बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने से काफी पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुला ली है। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय बुधवार की शाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र यादव, सुधा यादव, डॉ. के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा समेत पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य नेता मौजूद हैं।

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए बनाए गए प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक एवं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित मध्य प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप के अन्य नेता एवं केंद्रीय मंत्री भी बैठक में शामिल है।छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा के समय केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों के अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। (एएनआई)

छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता नारायण चंदेल सहित छत्तीसगढ़ भाजपा कोर ग्रुप एवं प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान से जुड़े कई अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं।बताया जा रहा है कि, भाजपा आलाकमान केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में इस वर्ष के अंत तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक अनोखा फैसला कर सकती है।बता दें कि सामान्य तौर पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक विधानसभा और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई जाती है। इस तरह की बैठक आम तौर पर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के बाद ही बुलाई जाती रही है। लेकिन, इस बार पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक ऐसे समय में बुलाई है, जब किसी भी राज्य में चुनावी कार्यक्रम या यूं कहे की चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है।मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए अभी 2 से 3 महीने के लगभग का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में पार्टी आलाकमान द्वारा बुलाई गई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से सभी अचंभित और आश्चर्यचकित भी है। सूत्रों की माने तो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों की उन कमजोर सीटों को लेकर विचार मंथन किया जाएगा जिन सीटों पर पार्टी को या तो कभी भी जीत हासिल नहीं हुई है या अगर पार्टी जीती भी है तो जीत का अंतर बहुत कम रहा है। यह बताया जा रहा है कि पार्टी इस बार एक अनोखा फैसला करते हुए 'सी' और 'डी' कैटेगरी में शामिल किए गए इन कमजोर सीटों के लिए पहले ही अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लेना चाहती है।इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भले ही अभी पार्टी द्वारा नहीं की जाए लेकिन पार्टी संगठन के द्वारा इन नेताओं तक सूचना भिजवा दी जाएगी और उसके बाद ये नेता पार्टी संगठन और पार्टी नेतृत्व के साथ मिलकर उस कमजोर सीटों पर अपना अपना अभियान शुरू कर देंगे ताकि चुनावी कार्यक्रम शुरू होने के समय भाजपा के उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवारों की तुलना में काफी आगे रहे और शुरुआत से ही बढ़त बना सके।

भाजपा के साथ नहीं करेंगे गठबंधन, 2024 में बदलाव के लिए करेंगे काम : शरद पवार

औरंगाबाद (महाराष्ट्र), (भाषा)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और इसके बजाय 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में बदलाव लाने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने उन अटकलों को खारिज करने की कोशिश की कि कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) उनके नेतृत्व वाले राकांपा के गुट के बिना 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्लान बी पर काम कर रहे हैं।कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राकांपा (शरद पवार गुट) विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के घटक दल हैं।शरद पवार ने महाराष्ट्र के बीड जिले में बृहस्पतिवार को होने वाली अपनी जनसभा से पहले संवाददाताओं से कहा, प्लान बी (कांग्रेस और शिवसेना-यूबीटी द्वारा मिलकर चुनाव लड़ने की) की खबर गलत है। ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान बदलाव की जरूरत है और इसलिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ पुणे में पिछले सप्ताह हुई अपनी मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा, वह मेरे परिवार के सदस्य हैं।

सिंगापुर, यूएई के साथ बिजली ग्रिड को जोड़ने पर बातचीत: आरके सिंह

नई दिल्ली, (विप्र)। केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने बुधवार को कहा कि सीमापार बिजली पारेषण के लिए सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ बिजली ग्रिड को जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। सिंह ने कहा कि भारत नेपाल, भूटान, म्यांमा और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ बिजली कारोबार ढांचे को भी मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसके अलावा श्रीलंका के साथ बिजली कारोबार का ढांचागत संपर्क स्थापित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। उन्होंने कहा, ग्रिड को जोड़ने के बारे में सिंगापुर के साथ चर्चा चल रही है। इसी तरह की बातचीत यूएई के साथ भी चल रही है।

बारिश-बाढ़ से करीब 960 को बचाया गया : एनडीआरएफ

नई दिल्ली, (विप्र)। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने बुधवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ में फंसे 960 से अधिक लोगों को बचाया गया है और करीब 10 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

एनडीआरएफ ने बताया कि इन राज्यों में बचाव और राहत के लिए केंद्रीय बल की 29 टीमों को तैनात किया गया है जिनमें से 14 सक्रिय हैं जबकि बाकी को तैयार अवस्था में रखा गया है। बल ने द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक गत कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, शिमला और मंडी जिले में एवं पंजाब के रूपनगर में अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके अनुसार बारिश और बाढ़ से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई स्थानों पर अब भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हैं। बयान में शाम सात बजे तक अद्यतन की गई जानकारी के हवाले से बताया गया कि एनडीआरएफ ने इन राज्यों में अबतक 960 से अधिक पीड़ितों को बचाया है और 10,363 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एनडीआरएफ के अलावा राज्य आपदा प्रतिक्रिया इकाई, सेना, वायुसेना, पुलिस और स्थानीय अधिकारी प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुए, सड़कें अवरुद्ध हो गईं और मकान ध्वस्त हो गए।

बिरला ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से भेंट की

नई दिल्ली, (विप्र)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भेंट की। यह मुलाकात संसद के मानसूत्र सत्र की समाप्ति के कुछ दिनों बाद हुई है।लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने एक्स पर पोस्ट किया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से उनके निवास पर भेंट की। इस दौरान उनसे विविध विषयों पर चर्चा हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अगले सप्ताह उदयपुर में नौवें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के हिन्द क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। संसद के मानसूत्र सत्र की शुरूआत 20 जुलाई को हुई थी और यह 11 अगस्त को सम्पन्न हुआ।

किसानों का 37,000 करोड़ का ऋण माफ किया है: केसीआर

वीर अर्जुन संवाददाता

हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य और देश भर के सभी लोगों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दी। गोलकोंडा फोर्ट में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में श्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इस अवसर पर मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों में हासिल की गई प्रगति महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि अपेक्षित लक्ष्य और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं किए जा सके हैं। प्राकृतिक संसाधन और मेहनती लोग होते हुए भी शासकों की अक्षमता के कारण संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो सका है। सभी संसाधन होते हुए भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव

पड़ रहा है। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के जीवन से गरीबी अभी भी दूर नहीं हुई है। मैं निवेदन करता हूं कि प्रगति के फल, जो सभी वर्गों की उन्नति के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, वे प्राप्त स्वतंत्रता के गुण हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम की भावना से हमने अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से तेलंगाना राज्य हासिल किया। तेलंगाना एक ऐसे राज्य के रूप में देश के लिए एक उदाहरण बन गया है जहां किसान कल्याण फल-फूल रहा है। साढ़े नौ साल की अवधि में दो चरणों में राज्य में किसानों का कुल 37,000 करोड़ रुपये का फसल ऋण माफ किया गया है। मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे देश में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने किसानों को इस तरह से कर्ज मुक्त किया हो। मैं आदरपूर्वक कहता हूं कि देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो किसान कल्याण के मामले में तेलंगाना की बराबरी कर सके। 24 घंटे मुफ्त बिजली, खाद और बीज की समय पर आपूर्ति, किसान बीमा, फसल ऋण माफी आदि जैसे कल्याणकारी उपायों ने कृषि क्षेत्र को आश्चर्यजनक रूप से स्थिर कर दिया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि कालेश्वर की धाराएँ तेलंगाना की भूमि को सिंचित करती हैं। तेलंगाना कभी पानी की एक बूंद के लिए तरसता था, आज बीस से अधिक जलाशयों से लबालब है। तीन करोड़ टन धान की पैदावार के साथ तेलंगाना आज देश के लिए चावल के स्रोत के रूप में फल-फूल रहा है।

Court Door:-25-07-2023 Spot: 25-07-2023 Publication 17-08-2023
Auction: 15-09-203 Report/Auction: 22-09-2023
Warrant of Sale of Property In Execution of A Decree For Money
(Under Order XXI. Rule 66, of the Code of Civil Procedure)

In the Court of
Ms. Ruchika Singla, Addl. District & Sessions Judge-III, (N/W), Room No.311, 3rd Floor, Rohini Courts, Delhi.

Suit No. /Award Dated No.08-06-2017 Ex. No.1123/2017
Gambit Leasing & Finance Pvt Ltd. 4, State Bank Nagar, 3rd Floor, Meera Bagh, Paschim Vihar, New Delhi- 110063. **......Decree-Holder**

Versus

JD No. 1, Om Kanwar S/o Sh. Charan Singh, H. No.60, Gali No.1, Part No.II, Nr. Kirar Bharat Ghar, Karan Vihar, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086.
2nd Address: Om Kanwar, M/s Haryana Dairy, Shop No.7, Khasra No.788, Block-B-1, Jagdamba Market, Nr. Aggarwal Sweets Aman Vihar,
JD No. 2. Ram Singh S/o Sh. Nanak Chand, R/o F-1/170, Block F-1, Aman Vihar, Nr. PSM Public School, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086.
2nd Address: Ram Singh M/s Charchti Adptor, 1st Floor, Choudhary Harbir Singh Market, Sultan Pur Mazara, Delhi.
JD No. 3. Poonam Chikara W/o Sh. Om Kanwar, R/o No. H 60 Gali No. 1, Karan Vihar Part-II, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086.
2nd Address: Poonam Chikara, M/s Haryana Dairy, Shop No.7, Khasra No. 788 Block No. BI, Jadamba Market, Nr. Aggarwal Sweets, Aman Vihar, Delhi-110086
JD No.-4 Jai Prakash S/o Mohan Lal, R/o C-326, Gali No. 7, Aman Vihar, Nr.Tula Ram Public School, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086.
2nd Address: Jai Prakash, M/s Jai Parkash Engineer Works, H. No. 242, Hansa Puri Road, Ram Pura, Delhi. **.....Judgment Debtor**

To,
The Court Auctioneer
These are so command you to sell by auction on 15.09.2023, after giving Four days previous notice, by affixing the same in the courthouse and after the proclamation, the JD Property attached under a warrant from the Coues, and the 26th day of May 2023 in execution of a decree in favour of DH in Suit No./Award No. 08-06-2017, or so much of the said good as shall realize the sum of Rs.28,06,388/- being the amount of the said decree and costs still remaining unsatisfied.
You are further commanded to return this warrant on or before the **22nd day of September 2023,** with an endorsement certifying the manner in which it has been executed.
Given under my hand and the seal of the Court this **18th day of July 2023.**
Seal **Sd/-**
Addl. District Judge-03, (N/W) Rohini Courts, Delhi

Conditions of Sale

1. The particulars specified in the schedule below have been stated to the best of the information of the Court, but the Court will not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.
2. The amount by which the biddings are to be increased shall be determined by the officer conduction the sale. In the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction.
3. The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot, provided always that he is legally qualified to bid, and provided that it shall be in the discretion of the Court or officer holding the sale to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it advisable to do so.
4. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the officer conduction the sale to adjourn if subject always to the provisions of rule 69 of Order XXI.
5. In the case if immovable property, the price of each lot shall be paid at the time of sale or as soon after as the officer holding the sale directs, and in default of payment the property shall forthwith be again put up and re-sold.
6. In the case of immovable property, the person declared to be the purchaser shall pay immediately after such declaration a deposit of 25 per cent. On the amount of his purchase-money to the officer conducting the sale, and in default of such deposit the property shall forthwith be put up again and resold.
7. The full amount of the purchase-money shall be paid by the purchaser before the Court closed on the fifteenth day after the sale of the property, exclusive of such day, of it the fifteenth day be a Sunday or other holiday, then in the first office day after the fifteenth day.
8. In default of payment of the balance of purchase money within the period allowed, the property shall be re-sold after the issue of a fresh notification of sale, may, if the Court thinks fit, be forfeited to Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claim of the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold.

Schedule of Property

No. of Lot: …..
Description of Property to be sold, with the name of each owner where more Judgment debtors than one: Khasra No.559-560, Village Kirari Suleman Nagar, Karan Vihar Part-II, (Kirari Extension) Delhi.
The revenue assessed upon the estate, if the property to be sold is an interest in an estate or a part of an estate paying revenue to Government: ………
Detail of any encumbrance to which the property is liable:.....
Claims, if any, which have been put forward to the property and any other known particulars bearing on its nature and value: ……../-.
The value of the property stated by the decree holder: As per Govt. Circle rate Rs.40,000/- per Sq. mtr. Andgovt. Approved valuer the value of property is 66,00.000/-
The value of the property as stated by the judgment debtors: Nil
Given under my hand and the seal of the Court this **18th day of July 2023.**
Seal **Sd/-**
Addl. District Judge-03, (N/W) Rohini Courts, Delhi

Karur Vysya Bank Smart way to bank
परिसंपत्ति वसूली शाखा, नं. 6, तीसरा तल, मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, फोन नं. 011–35008283, मोबाइल 7823919520, ई–मेलः arbdelhi@kvbmail.com

ई–नीलामी सूचना – ई–नीलामी तिथि 05.09.2023

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के प्रवर्तन के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से कर्जदारों एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार, दि करूर वैश्य बैंक लि. के पास बंधक नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों जिनका दि करूर वैश्य बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने अपने कब्जा लिया था, को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहां है'', ''जो है जैसा है'', जो कुछ भी वहां है'', बिना रिकॉर्स आधार'' पर बेचा जाएगा।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	लैंडिग शाखा	संपत्ति का स्थान	संपत्ति की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी राशि (रु. में)	संपर्क व्यक्ति/फोन नं. /ई–मेल
1	मैसर्स चारूल इंटरप्राइजेज	कमला नगर	सम्पूर्ण आवासीय संपत्ति, नं. 284 एवं नं. 285 पर निर्मित, ब्लॉक–बी, पॉकेट–9, सैक्टर–5, रोहिणी–110085, दिल्ली, परिमाप लगभग 25.90 वर्ग मीटर प्रत्येक।	निवास	1,22,10,000	12,25,000	श्री राजेश ठाक्कर 9910972101 rajeshthakkar@kvbmail.com

कर्जदार का विवरणः कमला नगर शाखा, कर्जदार का नामः **मैसर्स चारूल इंटरप्राइजेज,** प्रतिनिधित्व इसके मालिक श्री हिमांशु मलिक, पुत्र श्री बलजीत सिंह मलिक, निवासी बी–6/102, ब्लॉक–6, सेक्टर–5, रोहिणी, दिल्ली–110085 (2) श्री शैलेन्दर सिंह पुत्र **श्री अत्तर सिंह निवासी बी–6/102, ब्लॉक–6, सेक्टर–5, रोहिणी, दिल्ली–110085, कुल बकायाः 13.08.2023 को रु. 1,20,94,663.43 (एक करोड़ बीस लाख चौरानबे हजार छह सौ तिरसठ रुपए एवं तैंतालीस पैसे)** के साथ उस पर आगे ब्याज, लागत, अन्य प्रभार एवं व्यय।
बंधक परिसंपत्तियांः आवासीय फ्लैट, नं. 284 एवं नं. 285 पर निर्मित, ब्लॉक–बी, पॉकेट–9, सैक्टर–5, रोहिणी–110085, दिल्ली, परिमाप लगभग 25.90 वर्ग मीटर प्रत्येक। पूर्वः रोड, पश्चिमः अन्य संपत्ति, उत्तरः प्लॉट नं. 9/286, दक्षिणः प्लॉट नं. 9/283, **आरक्षित मूल्यः रु. 1,22,10,000.00 ईएमडीः' रु. 12,25,000.00**

परिसंपत्ति का निरीक्षण	सभी कार्यदिवसों में 17.08.2023 से 02.09.2023 तक प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
ऑनलाइन निविदा एवं आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 02.09.2023 समयः सायं 5.00 बजे तक
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	ई–नीलामी पोर्टल पर बिक्री की समाप्ति तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 05.09.2023 को प्रातः 11.00 बजे से प्रातः 11.30 बजे के बीच।
नोडल बैंक खाता नाम	करूर वैश्य बैंक लि. सेन्ट्रल ऑफिस में उपरोक्त खाता सं. 1101351000000973, आईएफएससी कोडः केवीबीएल0001101
संपर्क व्यक्ति एवं फोन	उपरोक्त वर्णित अनुसार

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए हमारे बैंक/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.kvb.co.in/Property Under Auction एवं वेबपोर्टल https://bankauctions.in पर दिये गये लिंक को देखें। ई–नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर
पूर्व अधिभारः शून्य (बैंक के ज्ञान के अनुसार)।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक 15 दिन सूचना

कर्जदारों और गारंटरों को एतदद्वारा ई–नीलामी की तिथि से पूर्व ब्याज एवं सहायक व्यय के साथ सभी बकाया को वर्तमान तिथि अनुसार भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है और ऐसा नहीं करने पर अनुसूचित संपत्ति को नीलाम/बेचा जाएगा और शेष बकाया, यदि कोई हो की ब्याज एवं लागत के साथ वसूली की जाएगी।
स्थानः दिल्ली **कृते दि करूर वैश्य बैंक लि.**
तिथिः 17.08.2023 **प्राधिकृत अधिकारी**

सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित लैंगिक शब्दों पर लगाम लगाने के लिए हैंडबुक जारी की

विधि संवाददाता

नई दिल्ली। छेड़छाड़, वेश्या और हाउस वाइफ जैसे शब्द जल्द ही कानूनी शब्दावली से बाहर हो सकते हैं और इसकी जगह सड़क पर यौन उत्पीड़न, यौनकर्मी और गृह स्वामिनी (होममेकर) जैसे शब्द ले सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक पुस्तिका का विमोचन किया जिसमें अनुचित लैंगिक शब्दों की शब्दावली है और इनकी जगह वैकल्पिक शब्द तथा वाक्यांश सुझाए गए हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे ही प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ पूर्ववर्ती राज्य जम्मू - कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस सुनने के लिए बैठी, सीजेआई ने पुस्तिका के विमोचन की घोषणा की। उन्होंने कहा, यह न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय को कानूनी चर्चा में महिलाओं के बारे में रूढ़िवादी सोच को पहचानने, समझने और बदलने में सहायता करने के लिए है। एक प्रेस विज्ञप्ति में, शीर्ष अदालत ने कहा कि हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स (लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने संबंधी पुस्तिका) का उद्देश्य न्यायाधीशों और कानूनी समुदाय के सदस्यों को महिलाओं के बारे में हानिकारक रूढ़िवादी सोच को पहचानने, समझने और उसका प्रतिकार करने के लिए सशक्त बनाना है।विज्ञप्ति में कहा गया, पुस्तिका में लैंगिग रूप से अनुचित शब्दों की एक शब्दावली दी गई है और दलीलों, आदेशों और निर्णयों सहित कानूनी दस्तावेजों में उपयोग के लिए उनके वैकल्पिक शब्द और प्रस्तावित वाक्यांश दिए गए हैं। संकलन महिलाओं के बारे में आम रूढ़िवादी सोच की पहचान करता है और इन रूढ़िवादी अशुद्धियों को प्रदर्शित करता है और दर्शाता है कि वे कानून के अनुप्रयोग को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 30 पन्नों वाली पुस्तिका महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेषकर यौन हिंसा से जुड़े मुद्दों पर प्रचलित कानूनी सिद्धांत को भी समाहित करती है।विज्ञप्ति में कहा गया, अपनी संपूर्णता में, पुस्तिका का उद्देश्य न्यायाधीशों को अपने स्वयं के तर्क, लेखन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस करना है और यह सुनिश्चित करना है कि न्याय निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से पेश किया जाए। यह न्यायोचित लैंगिकता आधारित कानूनी व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।पुस्तिका में कहा गया है कि मायाविनी , वेश्या या बदचलन औरत जैसे शब्दों का उपयोग करने के बजाय महिला शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें देह व्यापार और वेश्या जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है और कहा गया है कि इसके स्थान पर यौन कर्मी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।

अशनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः बेहरामपुर रोड, खांडसा गांव, गुरूग्राम, हरियाणा–122001, भारत, फोन +91–(0124)–4809755
E-mail: atml_delhi@yahoo.com, Website: www.ashnoortex.com. CIN: UL17226HR1984PLC033384

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही के लिए 30 जून, 2023 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही के लिए 31 मार्च, 2023 (लेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही के लिए 30 जून, 2022 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2023 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	3,197.15	3,586.47	7,375.30	17,778.83
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	341.91	416.00	209.12	781.20
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	341.91	432.05	209.12	797.21
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	240.22	311.88	156.84	612.41
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय {अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात शामिल}	240.22	311.88	156.84	612.41
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	1,274.58	1,273.95	1,273.95	1,273.95
7	आरक्षित (पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	–	4,388.01 240.00	– 240.00	4,388.01 240.00
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	240.00			
9	निवल मूल्य	8,824.68	5,661.96	5,206.42	5,661.96
10	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	0.18	0.18	0.17	0.18
11	बकाया विमोचनीय प्रीफरेंस शेयर	–	–	–	–
12	ऋण इक्विटी अनुपात	1.25	1.25	2.20	1.25
13	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/– प्रत्येक) (अतिविशिष्ट मदों से पूर्व एवं बाद)				
	1. मूल	1.89	2.45	1.23	4.80
	2. डायल्यूटिड	1.89	2.45	1.23	4.80
14	पूंजी विमोचन आरक्षित	–	–	–	–
15	डिबेंचर विमोचन आरक्षित	–	–	–	–
16	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	1.96	2.20	1.06	1.82
17	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	4.36	4.69	2.53	2.77

टिप्पणीः
1. 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त एकल वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) संशोधन नियम, 2016 के तहत निर्धारित किए गए अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक (एंड–एएस) के अनुरूप तैयार किए गए हैं।
2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.ashnoortex.com पर उपलब्ध है।

कृते निदेशक मंडल के आदेशानुसार
अशनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
हस्ता./–
सुनील गुप्ता
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00052084

स्थानः गुरूग्राम, हरियाणा
दिनांकः 14.08.2023

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू को मंजूरी

नई दिल्ली, (भाषा)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम, खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना के क्षेत्र में ज्ञान तथा विशेषज्ञता का विस्तार करने में मदद मिलेगी। एक सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस समझौता ज्ञापन पर भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य और वृद्धवस्था देखभाल विभाग ने हस्ताक्षर किए थे।इस द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत एथलीट और कोच का प्रशिक्षण और खेल प्रशासन को बेहतर बनाना, खेल में जमीनी स्तर की भागीदारी, प्रमुख खेलों के आयोजन में मदद मिलेगी। इसके साथ ही खेल में विविधता और समावेश जैसे पहल के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा और दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।